

1. यह अध्याय 2016-17 की अवधि में राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है और पिछले पाँच वर्षों के समग्र प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए 2015-16 के सापेक्ष मुख्य राजकोषीय योगों में परिवर्तन का विश्लेषण करता है।

यह विश्लेषण बिहार सरकार के वित्त लेखे में निहित विवरणों पर आधारित है। राज्य की रूपरेखा **परिशिष्ट 1.1** में दर्शाया गया है।

1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0)¹

भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) और राज्य के जी0एस0डी0पी0 का वर्तमान मूल्यों और स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 2011-12) पर वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियाँ **तालिका 1.1** में दिए गए हैं।

तालिका 1.1: भारत के सकल घरेलू उत्पाद और बिहार का जी.एस.डी.पी.

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	99,44,013	1,12,33,522	1,24,45,128	1,36,82,035	1,51,83,709
भारत के सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशतता)	13.82	12.97	10.79	9.94	10.98
वर्तमान मूल्यों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	2,82,368	3,17,101	3,42,951	3,81,501	4,38,030
वर्तमान मूल्यों पर राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशतता)	14.25	12.30	8.15	11.24	14.82
स्थिर मूल्यों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	2,56,851	2,69,650	2,79,482	3,00,566	3,31,572
स्थिर मूल्यों पर राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशतता)	3.93	4.98	3.65	7.54	10.32

(स्रोत: जी0डी0पी0/जी0एस0डी0पी0 के आँकड़ें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.08.2017 को जारी)

सरकारी लेखे की संरचना और वित्त लेखे की रूप रेखा क्रमशः **परिशिष्ट 1.2** के **भाग-क** एवं **भाग-ख** में वर्णित है।

1.1.1 राजकोषीय लेन-देन का सारांश

तालिका 1.2 वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देन के सारांश को दर्शाता है जबकि 2016-17 के दौरान संपूर्ण राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 1.3** में प्रस्तुत किया गया है।

¹ जी0डी0पी0 और जी0एस0डी0पी0 निश्चित समय की अवधि में क्रमशः देश एवं राज्य के भीतर सभी अधिकारिक रूप में मान्यता प्राप्त अंतिम उत्पाद एवं सेवा का बाजार मूल्य होता है और देश एवं राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शक होता है।

तालिका 1.2: 2016-17 में राजकोषीय लेन-देन का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2015-16	2016-17	संवितरण	2015-16	2016-17		
					गैर योजना	योजना	योग
खण्ड-‘क’ राजस्व							
राजस्व प्राप्तियाँ	96,123	1,05,585	राजस्व व्यय	83,616	61,189	33,576	94,765
कर राजस्व	25,449	23,742	सामान्य सेवाएँ	27,972	30,087	520	30,607
करेत्तर राजस्व	2,186	2,403	सामाजिक सेवाएँ	35,943	14,667	26,070	40,737
संघीय कर/शुल्कों का अंश	48,923	58,881	आर्थिक सेवाएँ	19,697	16,431	6,986	23,417
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	19,565	20,559	सहायता अनुदान एवं अंशदान	4	4	0	4
खण्ड-‘ख’ पूँजीगत एवं अन्य							
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	19	23	ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	621	42	72	114
लोक ऋण प्राप्तियाँ	18,383	21,577	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	4,125	-	-	4,215
आकस्मिकता निधि	4,477	5,438	आकस्मिकता निधि	4,477	-	-	5,438
लोक लेखा प्राप्तियाँ	49,106	61,730	लोक लेखा संवितरण	45,923	-	-	57,268
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	पूँजीगत व्यय	23,966	16	27,192	27,208
आरंभिक नकद शेष	6,337	11,717	अंतिम नकद शेष	11,717	-	-	17,062
योग	1,74,445	2,06,070	योग	1,74,445	-	-	2,06,070

(स्रोत: राज्य का वित्त लेख, वर्ष 2015-16 एवं 2016-17)

जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों/राजस्व व्यय/पूँजीगत व्यय की प्रवृत्तियाँ वर्तमान मूल्य के साथ-साथ स्थिर मूल्य पर नीचे तालिका 1.3 में प्रस्तुत है।

तालिका 1.3: जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ/राजस्व व्यय/ पूँजीगत व्यय की प्रवृत्तियाँ

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	औसत
जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ						
वर्तमान मूल्य पर राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	59,567	68,919	78,417	96,123	1,05,585	
वर्तमान मूल्य पर राजस्व प्राप्तियों का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	16.07	15.70	13.78	22.58	9.84	15.59
स्थिर मूल्य पर राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	54,184	58,606	63,905	75,731	79,924	
स्थिर मूल्य पर राजस्व प्राप्तियों का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	5.58	8.16	9.04	18.50	5.54	9.36
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	21.10	21.73	22.87	25.20	24.10	23.00
जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व व्यय						
वर्तमान मूल्य पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	54,466	62,477	72,570	83,616	94,765	
वर्तमान मूल्य पर राजस्व व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	17.13	14.71	16.15	15.22	13.33	15.31
स्थिर मूल्य पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	51,442	53,815	59,440	66,366	71,820	
स्थिर मूल्य पर राजस्व व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6.27	4.61	10.45	11.65	8.22	8.24
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	20.03	19.96	21.27	22.08	21.66	21.00
जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष पूँजीगत व्यय						
वर्तमान मूल्य पर पूँजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	9,585	14,001	18,150	23,966	27,208	
वर्तमान मूल्य पर पूँजीगत व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	8.28	46.08	29.64	32.04	13.53	25.91
स्थिर मूल्य पर पूँजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	8,718	11,906	14,791	18,882	20,596	
स्थिर मूल्य पर पूँजीगत व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-1.51)	36.56	24.24	27.65	9.08	19.20
पूँजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	3.39	4.42	5.29	6.28	6.21	5.12

(स्रोत: संबंधित वर्षों का वित्त लेख)

जैसा कि ऊपर की तालिका से स्पष्ट है, राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय, जी0एस0डी0पी0 प्रतिशत के रूप में, 2012-13 से तुलनात्मक रूप में 2016-17 में बढ़ा है जबकि उनके वृद्धि दर को मुद्रास्फीति की गणना करने पर इनकी वृद्धि दर में 2016-17 में कमी हुई है। विशेष रूप से पूँजी निर्माण की वृद्धि दर काफी कम था।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

जैसा कि पैरा 1.6.4 में विस्तार से वर्णित है कि उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) योजना के कार्यान्वयन से विद्युत वितरण कंपनियों के ऋणों को अधिग्रहण के कारण सरकार पर अतिरिक्त बोझ को देखते हुए राज्य की राजकोषीय नीति और उदय के दिशानिर्देश यह सुनिश्चित करते हैं कि इस तरह के ऋणों को राज्य के राजकोषीय घाटे की सीमा के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। राज्य की वास्तविक राजकोषीय घाटा और लंबित उत्तरदायित्व उदय को छोड़ कर क्रमशः ₹ 13,985.53 करोड़ और ₹ 1,36,390 करोड़ थी। इस प्रतिवेदन में चर्चा के विभिन्न मुद्दों के विश्लेषण से यह परिलक्षित हुआ कि राजस्व अधिशेष ₹ 157.54 करोड़ अधिक बतलाया गया था जबकि राजकोषीय घाटा ₹ 157.54 करोड़ कम बतलाया गया था। दूसरे शब्दों में वास्तविक राजस्व अधिशेष ₹ 13,155.46 करोड़ तथा राजकोषीय घाटा ₹ 14,143.07 करोड़ है। यह प्रतिवेदन के अंतिम भाग में कंडिका 3.12 एवं तालिका 3.6 में वर्णित है। वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य का प्रदर्शन बजट में दिए गए प्रमुख परिवर्तनों के अंतर्गत, चौदहवें वित्त आयोग के अनुशंसा और बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार वास्तविकी (उदय को छोड़कर) और लेखापरीक्षा द्वारा कार्यित तालिका 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.4: 2016-17 के दौरान राज्य का प्रदर्शन

मुख्य राजकोषीय संकेतक	चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट अनुमान में निर्धारित लक्ष्य	वास्तविकी (उदय को छोड़कर)	लेखापरीक्षा द्वारा कार्यित वास्तविकी
राजस्व घाटा(-)/ अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	शून्य घाटा	शून्य घाटा	₹ 14,649.46 का अधिशेष	13,313.00	13,155.46
वर्तमान मूल्य पर राजकोषीय घाटा/जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशत में)	3.25	3.00 ²	2.87	3.19	3.23
वर्तमान मूल्य पर जी0एस0डी0पी0 की तुलना में राज्य के कुल बकाया ऋण का अनुपात (प्रतिशत में)	24.79	24.79	18.89	31.14	31.14

(स्रोत: चौदहवें वित्त आयोग, बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम तथा वर्ष 2016-17 के लिए बजट आँकड़े)

जैसा कि उपरोक्त से दर्शित है कि राज्य ने 2016-17 के बजट अनुमानों, चौदहवें वित्त आयोग/एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम में जी0एस0डी0पी0 लक्षित के लिए राजस्व अधिशेष और बकाया ऋण का अनुपात हासिल नहीं किया है।

यद्यपि राज्य ने बजट अनुमानों में अनुमानित राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल नहीं किया है, जबकि चौदहवें वित्त आयोग और बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के अनुसार राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल किया गया क्योंकि यह 0.25 प्रतिशत तय लक्ष्य की लचीलापन के लिए योग्य था, जैसा कि 2015-16 के दौरान ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का 7.38 प्रतिशत था।

² राज्य किसी भी दिए गए वर्ष के लिए 0.25 प्रतिशत या अधिक की लचीलापन के लिए पात्र होगा जिसके लिए ऋण जी0एस0डी0पी0 अनुपात पिछले वर्ष में 25 प्रतिशत से कम या उसके बराबर है, जिसके लिए ऋण सीमा तय की जानी है। राज्य किसी दिए गए वर्ष में जी0एस0डी0पी0 के 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा के लिए आगे भी पात्र होगा जिसके लिए ब्याज भुगतान पिछले वर्ष में राजस्व प्राप्तियों के 10 प्रतिशत से कम या उसके बराबर है, जिस वर्ष के लिए ऋण सीमा तय की जानी है।

1.1.2.1 राजकोषीय घाटे की संरचना एवं वित्त पोषण

राजकोषीय घाटा राजस्व और गैर-ऋण प्राप्तियों से राजस्व एवं पूँजीगत व्यय (ऋण और अग्रिम सहित) के आधिक्य को पूरा करने के लिए राज्य के कुल वित्त पोषण (मुख्य रूप से आर0बी0आई0 से अपने नकदी और निवेशित शेष की निकासी एवं उधारी द्वारा) का प्रतिनिधित्व करता है। राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण का स्वरूप तालिका 1.5 में परिलक्षित होता है।

तालिका 1.5: राजकोषीय घाटा के घटक एवं इसका वित्त पोषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजकोषीय घाटा (उदय सहित)* (कोष्ठक में दिए गए आँकड़ें जी0एस0डी0पी0 से प्रतिशत को दर्शाते हैं)	6,545.26 (2.32)	8,351.92 (2.63)	11,178.50 (3.26)	12,061.59 (3.16)	16,479.15 (3.76)
1 राजस्व अधिशेष	5,100.51	6,441.42	5,847.56	12,507.16	10,819.81
2 पूँजीगत व्यय	9,584.52	14,001.00	18,150.41	23,966.02	27,208.40
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	2,061.25	792.35	1,124.35	602.73	90.56
राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण का स्वरूप**					
1 बाजार उधारी	5,763.88	5,346.77	6,666.51	10,233.12	16,804.96
2 भारत सरकार से ऋण	23.30	(-)11.07	84.67	115.86	757.51
3 एन0एस0एस0एफ0 को जारी विशेष प्रतिभूति	292.87	631.52	3,150.22	2,024.86	(-)1,713.12
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	403.96	820.31	407.18	1,884.33	1,512.84
5 लघु बचत, भविष्य निधि आदि	(-)215.55	(-)297.90	(-)182.77	(-)73.58	99.63
6 जमा एवं अग्रिम	2,199.05	3,668.41	2,222.57	3,731.69	5,393.40
7 उचंचत तथा विविध	(-)1,936.34	(-)2,007.59	(-)1,231.88	(-)5,245.97	(-)5,666.65
8 प्रेषण	19.51	(-)19.01	(-) 11.98	6.05	(-)7.05
9 आरक्षित निधि	275.94	262.31	(-)245.12	(-) 401.15	(-) 712.03
10 अंतर्राज्यीय समाशोधन	-	-	-	-	-
11 कुल अधिशेष/घाटा	6,826.62	8,393.74	10,859.40	12,275.21	16,469.49
12 रोकड़ शेष में कमी/ वृद्धि#	(-)281.36	(-)41.82	319.10	(-) 213.62	9.66
13 सकल राजकोषीय घाटा	6,545.26	8,351.92	11,178.50	12,061.59	16,479.15
* इस तालिका में राजकोषीय घाटे में उदय का प्रभाव शामिल है ताकि वित्त लेखों में वित्त पोषण के दिए गए स्वरूप से आँकड़ों में मेल खा सके।					
** ये सभी आँकड़े वर्ष के दौरान निवल संवितरण/बहिर्गमन के हैं।					
# रोकड़ शेष (रिजर्व बैंक में जमा और कोषागार में प्रेषण)।					

(स्रोत: संबंधित वर्षों का वित्त लेख)

1.1.2.2 घाटा की गुणवत्ता

प्राथमिक घाटा पूर्व में लिए गए उधारों पर ब्याज भुगतान को छोड़कर चालू वर्ष के वित्तीय परिचालन का प्रमाण है। राज्य का प्राथमिक घाटा तालिका 1.6 में दिखाया गया है।

तालिका 1.6: प्राथमिक घाटा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्तियाँ ³	प्राथमिक व्यय	राजकोषीय घाटा	ब्याज अदायगी	प्राथमिक घाटा
1	2	3	4	5	6 (4-5)
2012-13	59,592	61,709	6,545	4,428	2,117
2013-14	68,934	71,826	8,352	5,460	2,892
2014-15	79,910	84,960	11,179	6,129	5,050
2015-16	96,142	1,01,105	12,061	7,098	4,963
2016-17	1,05,608	1,13,896	16,479	8,191	8,288

(स्रोत: संबंधित वर्षों का वित्त लेखे)


राज्य का प्राथमिक घाटा वर्ष 2012-13 में ₹ 2,117 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 8,288 करोड़ हो गया है जो यह दर्शाता है कि गैर ऋण प्राप्तियाँ राज्य के प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए लगातार अपर्याप्त थे।

1.1.3 बजट प्राक्कलन एवं वास्तविकी

बजट अनुमानों के विरुद्ध वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय में कमी, बजट तैयार करने में या तो असंभावित और अप्रत्याशित घटनाओं या कम/अधिक राजस्व या व्यय के अनुमान के कारण होता है। इसका विपरीत प्रभाव वांछित राजकोषीय उद्देश्यों पर पड़ता है।

वर्ष 2016-17 के चयनित राजकोषीय मानक के बजट प्राक्कलन की तुलना में यथा वास्तविकी चार्ट 1.1 एवं परिशिष्ट 1.4 में दिखाया गया है।

चार्ट 1.1: चयनित राजकोषीय मानक: 2016-17 के दौरान बजट प्राक्कलन एवं वास्तविकी



(स्रोत: बजट दस्तावेज तथा वर्ष 2016-17 का वित्त लेखे)

³ गैर ऋण प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम की वसूलियाँ और प्राप्तियाँ का योग है।

उपर्युक्त चार्ट 2016-17 के दौरान प्राक्कलन के विरुद्ध वास्तविक आँकड़ों में हुए परिवर्तन को दर्शाता है, जिसकी समीक्षा नीचे दी गयी है:

राजस्व प्राप्तियाँ	कर राजस्व में 20.14 प्रतिशत (राज्य उत्पाद कर में 98.57 प्रतिशत और बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर में 15.32 प्रतिशत की कमी) और भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों में 39.78 प्रतिशत की कमी के कारण यह बजट आकलन से 15.25 प्रतिशत कम था।
राजस्व व्यय	सामान्य सेवाओं में 15.41 प्रतिशत (प्रशासनिक सेवाएँ में 13.70 प्रतिशत और पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाओं में 23.19 प्रतिशत की कमी) और सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत हुए 13.60 प्रतिशत (शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति में 12.02 प्रतिशत एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 31.95 प्रतिशत) की कमी के कारण यह बजट आकलन से 13.80 प्रतिशत कम था।
पूँजीगत व्यय	सामान्य सेवाओं में 29.38 प्रतिशत एवं आर्थिक सेवाओं में 7.31 प्रतिशत (कृषि एवं संबद्ध सेवाओं में 47.53 प्रतिशत और ऊर्जा में 33.14 प्रतिशत) में कमी के कारण यह बजट आकलन से 21.71 प्रतिशत कम था।
राजस्व अधिशेष	राजस्व प्राप्तियों में 15.25 प्रतिशत की कमी के कारण यह बजट आकलन से 26.14 प्रतिशत कम था।
राजकोषीय घाटा	कुल व्यय में 12.83 प्रतिशत की वृद्धि के कारण यह बजट आकलन से 2.90 प्रतिशत ज्यादा था।
प्राथमिक घाटा	यह बजट आकलन से 5.78 प्रतिशत ज्यादा था।


अनुशंसा: वित्त विभाग को बजट तैयारी की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए, ताकि बजट अनुमान और वास्तविकता के बीच का अंतर कम हो।

1.2 राज्य के वित्तीय संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन


वर्ष 2012-17 के दौरान कुल प्राप्तियों के विभिन्न घटक, इन घटकों के विचलन की प्रवृत्ति और 2016-17 के दौरान संसाधनों के संघटक को क्रमशः चार्ट 1.2, 1.3 और 1.4 में क्रमशः प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 1.2: वर्ष 2016-17 के दौरान कुल प्राप्तियों की संरचना



(स्रोत: वर्ष 2016-17 के वित्त लेखे)


चार्ट 1.3: राज्य के प्राप्तियों की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.4: वर्ष 2016-17 के दौरान कुल प्राप्तियों के घटक

(₹ करोड़ में)




(स्रोत: वर्ष 2016-17 के वित्त लेखे)

1.2.2 राजस्व प्राप्तियाँ


वित्त लेखे का विवरण-14 सरकार के राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत विवरण देता है। वर्ष 2012-17 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना को परिशिष्ट 1.5 तथा क्रमशः चार्ट 1.5 एवं 1.6 में भी दर्शाया गया है।

चार्ट 1.5: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.6: वर्ष 2012-17 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों के घटक



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.2.2.1 राज्य के स्व-संसाधन

संसाधनों के संग्रहण में राज्य का प्रदर्शन का मूल्यांकन कर राजस्व और करेत्तर राजस्व के अनुसार किया जाता है, जिसमें केन्द्रीय करों में राज्यांश एवं सहायता अनुदान शामिल नहीं है जो कि वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित होते हैं।

राज्य के कर राजस्व और करेत्तर राजस्व एवं बजट अनुमानों की तुलना नीचे तालिका 1.7 में दी गई है:

तालिका 1.7: वर्ष 2016-17 के लिए प्रक्षेपण एवं वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	बजट प्रक्षेपण	वास्तविकी
कर राजस्व	29,730.27	23,742.26
करेत्तर राजस्व	2,358.11	2,403.12

(स्रोत: बजट प्राक्कलन एवं वर्ष 2016-17 का वित्त लेखे)

कर राजस्व

वर्ष 2012-17 के दौरान कर राजस्व का विवरण नीचे तालिका 1.8 में दिया गया है:

तालिका 1.8: कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2015-16 से 2016-17 के दौरान भिन्नता (प्रतिशत)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	8,671	8,453	8,607	10,603	11,873	11.98
राज्य उत्पाद कर	2,430	3,168	3,217	3,142	30 ⁴	(-) 99.05
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	2,173	2,712	2,699	3,409	2,982	(-) 12.53
वाहन कर	673	837	964	1,081	1,257	16.28
भू-राजस्व	205	202	277	695	971	39.71
माल एवं यात्रियों पर कर	1,932	4,349	4,451	6,087	6,245	2.60
अन्य कर	169	240	535	432	384	(-) 11.11
योग	16,253	19,961	20,750	25,449	23,742	(-) 6.71

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष स्व-कर राजस्व छत्तीसगढ़ (6.53 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (6.74 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (6.90 प्रतिशत) की तुलना में केवल 5.42 प्रतिशत था।

⁴ मद्यनिषेध लागू होने के कारण (05 अप्रैल 2016)

करेत्तर राजस्व

2012-17 के दौरान करेत्तर राजस्व प्राप्तियों का विवरण नीचे तालिका 1.9 में दिया गया है:

तालिका 1.9: करेत्तर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

करेत्तर राजस्व	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2015-16 से 2016-17 के दौरान भिन्नता (प्रतिशत)
ब्याज प्राप्तियाँ	167.12	269.48	344.77	583.66	939.91	61.04
गैर-लौह खनन और धातुकर्म उद्योग	511.08	569.14	879.87	971.34	997.60	2.70
अन्य करेत्तर प्राप्तियाँ	457.07	706.21	333.34	630.64	465.61	(-)26.17
योग	1,135.27	1,544.83	1,557.98	2,185.64	2,403.12	9.95

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष दर वर्ष बढ़ रहे राज्य के स्व-राजस्व में 2016-17 में ₹ 1,490 करोड़ की आई कमी, मुख्य रूप से मद्य निषेध लागू होने से राजस्व के ₹ 3,112 करोड़ घटने के कारण हुई। इसी तरह से, नियंत्रणकारी गतिविधियों में वृद्धि के कारण राज्य उत्पाद का व्यय 2015-16 में ₹ 49.63 करोड़ से बढ़ कर 2016-17 में ₹ 91.96 करोड़ हो गया।

1.2.2.2 संग्रहण पर लागत

वर्ष 2016-17 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों के संग्रहण एवं उस पर हुए लागतों का विवरण तालिका 1.10 में दिया गया है:

तालिका 1.10: संग्रहण पर लागत

क्रम सं०	विवरण	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण से व्यय की प्रतिशतता	पिछले वर्ष का अखिल भारतीय औसत
		(₹ करोड़ में)			
1	वैट/बिक्री कर	18,502.86	117.81	0.64	0.66
2	राज्य उत्पाद	29.66	91.96	310.05	3.21
3	वाहन कर	1,256.67	46.08	3.67	4.99
4	मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	2,981.95	47.60	1.60	2.87

(स्रोत: वर्ष 2016-17 का वित्त लेखे)

हालाँकि वैट/बिक्री कर, वाहन और मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क के संग्रहण में लागत पिछले वर्ष के अखिल भारतीय औसत से कम था, राज्य उत्पाद शुल्क के संग्रहण की लागत राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगाने के कारण (5 अप्रैल 2016) अखिल भारतीय औसत से अधिक थी।

1.2.2.3 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार सहायता अनुदान और संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश प्राप्त करती है। भारत सरकार के अनुदान का विवरण नीचे तालिका 1.11 में दिया गया है।

तालिका 1.11: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
गैर-योजना अनुदान	2,412.58	3,288.13	3271.21	3,434.43	4,505.51
राज्य योजना मदों के लिए अनुदान	5,051.97	6,238.39	14,935.68	13,886.33	13,952.92
केन्द्रीय योजना मदों के लिए अनुदान	35.69	136.65	117.49	2,083.98	1,422.91
केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	2,777.68	2,920.86	821.88	160.86	677.68
कुल अनुदान	10,277.92	12,584.03	19,146.26	19,565.60	20,559.02
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	4.00	22.44	52.15	2.19	5.08
राजस्व प्राप्तियाँ	59,567	68,919	78,417	96,123	1,05,585
राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष कुल अनुदान की प्रतिशतता	17.25	18.26	24.42	20.35	19.47

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.2.2.4 बकाया राजस्व

बकाये राजस्व का विवरण नीचे तालिका 1.12 में है:

तालिका 1.12: बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	विभाग का नाम	31 मार्च 2017 को कुल लंबित राशि	5 वर्षों से अधिक की लंबित राशि
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	वाणिज्य कर विभाग	3,113.62	547.03
2.	सामानों एवं यात्रियों पर कर		2,500.38	11.22
3.	बिजली पर कर एवं शुल्क		61.91	2.23
4.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क		10.10	8.31
5.	वाहन कर	परिवहन विभाग	184.88	अनुपलब्ध
6.	भू-राजस्व	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	117.73	34.15
7.	राज्य उत्पाद	निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग	66.96	23.29
8.	खान और भूतत्व	खान एवं भूतत्व विभाग	271.54	175.52
योग			6,327.12	801.75

(स्रोत: संबंधित विभाग)

अनुशंसा: वित्त विभाग को एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे बकाये राजस्व का तेजी से संग्रहण किया जा सके।

1.2.3. पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ

वर्ष 2012-17 के दौरान पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 1.13 में दी गई है।

तालिका 1.13: पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ	9,579	9,922	15,411	18,402	21,600
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	25	15	1,493	19	23
लोक ऋण प्राप्तियाँ	9,554	9,907	13,918	18,383	21,577
लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर	44	04	40	32	18
पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	42	04	55	19	17

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.2.3.1 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.14 में दिया गया है।

तालिका 1.14: आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बाजार उधारी	7,100	6,500	8,100	11,500	17,700
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	932	1,471	1,154	1,204	1,588
अन्य ⁵	1,014	1,386	3,946	4,861	777

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य द्वारा निवेश से प्राप्त ब्याज की तुलना में उच्च दर पर उधार के प्रभाव का वर्णन पैरा 1.4.3 में की गई है।

1.2.3.2. भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम

वर्ष 2012-17 के दौरान राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण तालिका 1.15 में दिया गया है।

तालिका 1.15: भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	508	550	718	818	1,512

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.2.3.3 लोक लेखा प्राप्तियाँ

कुछ निश्चित लेन-देन जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं जैसे लघु बचत, भविष्य निधि एवं आरक्षित निधि आदि, इनकी प्राप्तियाँ एवं संवितरण, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अधीन लोक लेखा में रखे जाते हैं तथा राज्य विधान मंडल से मतदान आवश्यक नहीं होता है। यहाँ सरकार एक बैंकर/ट्रस्टी की भूमिका अदा करती है। लोक लेखे के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरणों की स्थिति वित्त लेखे के विवरणी 21 में दी गई है और लोक लेखे प्राप्तियाँ (निवल) का विवरण तालिका 1.16 में दिया गया है।

⁵ बॉण्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अर्थोपाय अग्रिम और राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष सिक्योरिटी।

तालिका 1.16: लोक लेखा प्राप्ति (निवल) की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
लोक लेखा प्राप्ति (निवल)	2,267.39	4,005.21	1,050.64	3,183.04	4,462.44
(अ) लघु बचत, भविष्य निधि आदि	(-) 215.64	(-) 297.90	(-) 182.77	(-) 73.58	99.63
(ब) आरक्षित निधि	530.89	698.58	730.13	90.69	(-) 129.15
(स) जमा एवं अग्रिम	2,199.05	3,668.40	2,222.58	3,731.69	5,393.40
(द) उचंत एवं विविध	(-) 266.52	(-) 44.86	(-) 1,707.32	(-) 571.81	(-) 894.39
(इ) प्रेषण	19.52	(-) 19.01	(-) 11.98	6.05	(-) 7.05

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)


आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन के प्रभाव की चर्चा पैरा 1.5.2 में की गई है।

1.3 संसाधनों का अनुप्रयोग

1.3.1 व्यय के संघटक एवं वृद्धि

वर्ष 2012-17 के दौरान कुल व्यय की प्रवृत्तियों एवं संघटकों को चार्ट 1.7 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 1.7: कुल व्यय: प्रवृत्ति एवं संघटक



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3.2 राजस्व व्यय

योजना एवं गैर योजना राजस्व व्यय

योजना एवं गैर योजना राजस्व व्यय का विवरण तालिका 1.17 में दिया गया है।

तालिका 1.17: योजना एवं गैर योजना राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कुल राजस्व व्यय	54,466	62,477	72,570	83,616	94,765
गैर योजना राजस्व व्यय	37,574	43,381	47,059	53,965	61,189
योजना राजस्व व्यय	16,892	19,096	25,511	29,651	33,576
गैर योजना राजस्व व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.47	15.45	8.48	14.68	13.39
योजना राजस्व व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	35.28	13.05	33.59	16.23	13.24

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3.3 पूँजीगत व्यय

योजना एवं गैर योजना पूँजीगत व्यय

योजना एवं गैर योजना पूँजीगत व्यय का विवरण तालिका 1.18 में दिया गया है।

तालिका 1.18: योजना एवं गैर योजना पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कुल व्यय	66,137	77,285	91,089	1,08,203	1,22,087
पूँजीगत व्यय	9,585	14,001	18,150	23,966	27,208
गैर योजना पूँजीगत व्यय	93	97	58	36	16
योजना पूँजीगत व्यय	9,492	13,904	18,092	23,930	27,192
गैर योजना पूँजीगत व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	132.50	4.30	(-) 40.21	(-) 37.93	(-) 55.56
योजना पूँजीगत व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.72	46.48	30.12	32.27	13.63

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राज्य का पूँजीगत व्यय (6.21 प्रतिशत) इसके पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़ (3.26 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (4.26 प्रतिशत), झारखंड (4.28 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (5.47 प्रतिशत) से ज्यादा था।

1.3.4 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व शीर्ष के अंतर्गत सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान (₹ 8,190.70 करोड़), वेतन एवं मजदूरी पर व्यय (₹ 15,784.04 करोड़), पेंशन (₹ 12,514.52 करोड़) तथा सब्सिडी (₹ 8,757.44 करोड़) शामिल है। प्रतिबद्ध व्यय (₹ 45,246.70 करोड़), राजस्व व्यय का एक प्रमुख घटक है और यह गैर-योजना राजस्व व्यय (₹ 61,189 करोड़) का 74 प्रतिशत है।

तालिका 1.19 2012-17 के दौरान किए गए प्रतिबद्ध व्यय की प्रवृत्ति प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.19: प्रतिबद्ध व्यय के घटकों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
						बजट अनुमान	वास्तविकी
1	वेतन एवं मजदूरी जिसमें	13,557.88 (22.76)	14,036.67 (20.37)	14,607.44 (18.63)	14,923.73 (15.52)	18,328.59	15,784.04 (14.95)
1(अ)	गैर योजना	12,865.06	13,315.36	13,910.31	14,307.22	17,723.37	15,106.13
1(ब)	योजना	692.82	721.31	697.13	616.51	605.22	677.91
2	ब्याज भुगतान	4,428.31 (7.43)	5,459.04 (7.92)	6,128.75 (7.82)	7,097.69 (7.38)	8,178.82	8,190.70 (7.76)
3	पेंशन पर व्यय	8,363.53 (14.04)	9,481.73 (13.76)	11,344.50 (14.47)	11,830.46 (12.31)	16,285.30	12,514.52 (11.85)
4	सब्सिडी	4,313.45 (7.24)	1,464.38 (2.12)	4,628.36 (5.90)	9,010.45 (9.37)	7,613.41	8,757.44 (8.29)
5	कुल प्रतिबद्ध व्यय	30,663.17 (51.48)	30,441.82 (44.17)	36,709.05 (46.81)	42,862.33 (44.59)	42,792.71	45,246.70 (42.85)

कोष्ठक में दिए गए आँकड़ें राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष कुल व्यय की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट अनुमान)

1.3.4.1 नई पेंशन योजना

1 सितंबर 2005 या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना (एन0पी0एस0) के अंतर्गत शामिल किया गया है जो कि अंशदान आधारित पेंशन योजना के रूप में परिभाषित है। इस योजना में, कर्मचारी मूल वेतन और महँगाई भत्ता का 10 प्रतिशत का अंशदान करता है इसके समतुल्य राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है और पूरी राशि को राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन0एस0डी0एल0)/ ट्रस्टी बैंक के माध्यम से निर्दिष्ट निधि प्रबंधक को अंतरण कर दिया जाता है।

राज्य लेखे में वर्ष 2005 से 2013 के दौरान कर्मचारियों द्वारा एन0पी0एस0 में किए गए अंशदायी पेंशन का विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण लेखापरीक्षा इस बात का आकलन करने में असक्षम रहा कि क्या वास्तव में योजना के शुरू होने के बाद कर्मचारियों से जो कटौती की गयी है उसके समतुल्य अंशदान सरकार द्वारा की गयी उसे एन0एस0डी0एल0 को अंतरित किया गया। कर्मचारियों के यथोचित अंशदान और उसके समतुल्य सरकार के अंशदान नहीं होने के कारण और इस राशि को एन0एस0डी0एल0 के चिन्हित कोष प्रबंधन को स्थानांतरित करने में असफल होने के कारण कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम के लाभ से वंचित होना पड़ता है। कोष का कमतर स्थानांतरण एवं एन0पी0एस0 अंशदान का अन्यत्र परिवर्तन से एन0पी0एस0 कोष के दिवालियापन को संभावी बनाता है और साथ ही योजना भी अपने आप में असफल हो जाती है। इसी तरह किसी निजी कंपनी द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि कोष के प्रबंधन में इस तरह की अनियमितता के फलस्वरूप दण्ड का विधान किया जाता है।

2013-14 से 2016-17 के अवधि में कर्मचारियों के ₹ 1,172.15 करोड़ के अंशदान के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा किया गया वास्तविक अंशदान ₹ 1,115.71 करोड़ ही थी, फलस्वरूप अंशदान में ₹ 56.44 करोड़ की कमी पायी गयी। यह न्यून अंशदान, जो ब्याज के साथ जुड़ता है, जिसका आकलन नहीं किया जा सका उससे इस योजना के लंबित पड़े दायित्वों का पता चलता है। इससे संबंधित वर्ष में राजस्व अधिशेष में अत्युक्ति और राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति का परिणाम सामने आया।

उपरोक्त के अलावा ₹ 2,287.86 करोड़ के कुल अंशदान (कर्मचारियों और सरकार का वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक का हिस्सा) में से केवल ₹ 2,199.32 करोड़ की राशि ही एन0एस0डी0एल0 को स्थानांतरित की गयी और लोक लेखा के मुख्य शीर्ष 8342 के अधीन ₹ 88.54 करोड़ की राशि शेष के रूप में रह गया।

2016-17 के दौरान ₹ 764.19 करोड़ के कुल अंशदान के विरुद्ध राज्य सरकार ने केवल ₹ 741.67 करोड़ की राशि ही एन0एस0डी0एल0 को प्रेषित किया और ₹ 22.52 करोड़ की राशि शेष के रूप में रह गयी।

उपरोक्त न्यून अंशदानों और स्थानांतरणों के फलस्वरूप सरकारी कर्मचारियों को अपने उन अधिकारों से वंचित होना पड़ा जिसके अनुसार उनके जमाओं को न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत एन0एस0डी0एल0 के द्वारा निवेश किया जाना था।

अनुशांसा: राज्य सरकार को अविलंब इस तरह की कार्रवाई करने की पहल करनी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि 1 सितंबर, 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को पूर्णतः नई पेंशन योजना का लाभ मिल सके। ऐसा पूर्णतः कर्मचारियों के अंशदान की कटौती एवं सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान की कटौती कर राशि को पूर्णतः एन0एस0डी0एल0 को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।

1.3.4.2 सब्सिडी

वर्ष 2016-17 की अवधि में राज्य सरकार ने ₹ 8,757 करोड़ (राजस्व प्राप्ति का 8 प्रतिशत) की राशि का भुगतान सब्सिडी के रूप में किया। इसका विस्तृत वर्णन वित्त लेखे के परिशिष्ट-II में उपलब्ध है। कुल भुगतान किये गये सब्सिडी में से ₹ 6,807.69 करोड़ ऊर्जा विभाग को किया, ₹ 976.89 करोड़ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को और ₹ 381.99 करोड़ उद्योग विभाग को किया गया।

1.3.5 व्ययों की गुणवत्ता

राज्य सरकार के व्यय की गुणवत्ता के अंतर्गत मुख्य रूप से तीन आयाम निहित होते हैं, यथा व्यय की पर्याप्तता (उदाहरणार्थ, जन-सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता और प्रभावकारिता (सेवाओं हेतु परिव्यय-परिणाम संबंधों का आकलन)।

1.3.5.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

वर्ष 2016-17 के दौरान पूँजीगत व्यय, सामाजिक सेवाओं पर व्यय और विकासात्मक व्यय के संदर्भ में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं का विश्लेषण तालिका 1.20 में किया गया है:

तालिका 1.20: वर्ष 2012-13 और 2016-17 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता (प्रतिशत में)

राजकोषीय प्राथमिकता (जी0एस0डी0पी0 का प्रतिशतता)	ए.ई./ जी.एस.डी.पी.	डी.ई.#/ ए.ई.	एस.एस.ई./ ए.ई.	सी.ई./ ए.ई.	शिक्षा/ ए.ई.	स्वास्थ्य/ ए.ई.
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (अनुपात) 2012-13	14.80	70.00	38.20	13.70	17.70	4.60
बिहार का औसत (अनुपात) 2012-13	23.42	70.69	36.95	14.49	21.84	3.63
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (अनुपात) 2016-17	16.70	70.90	32.20	19.70	15.20	4.80
बिहार का औसत (अनुपात) 2016-17	27.87	73.20	36.31	22.29	16.57	4.50

ए.ई.- कुल व्यय, डी.ई.-विकासात्मक व्यय, एस.एस.ई.-सामाजिक क्षेत्र व्यय, सी.ई.-पूँजीगत व्यय
#डी.ई.: विकासात्मक व्यय में विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय और संवितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल है।

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जी0एस0डी0पी0 हेतु।)

तालिका से स्पष्ट है कि, विकासात्मक व्यय, सामाजिक सेवाओं पर व्यय और शिक्षा सेवाओं पर व्यय कुल व्यय के अनुपात में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था। यद्यपि कुल व्यय में शिक्षा का अंश पाँच वर्षों की अवधि में 2016-17 में कम हो गया। जबकि कुल व्यय में स्वास्थ्य का अंश सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था।

1.3.6 व्यय की दक्षता

सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं के संचालन हेतु पूँजीगत और राजस्व व्ययों का विवरण नीचे तालिका 1.21 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.21: चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक संरचना	2015-16		2016-17	
	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में एस0 एण्ड डब्लू का अंश	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में एस0 एण्ड डब्लू का अंश
सामान्य शिक्षा	2.77	23.77	3.38	22.59
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	23.86	52.57	15.85	48.34
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	18.23	6.28	15.05	3.12
कुल (सामाजिक सेवाएँ)	8.70	25.16	8.42	21.75
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	14.68	14.64	5.30	22.71
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	59.40	56.96	63.14	56.91
विद्युत एवं ऊर्जा	31.23	0.00	42.71	0.00
परिवहन	72.06	13.94	75.81	12.98
कुल (आर्थिक सेवाएँ)	43.13	11.25	50.85	10.51
कुल (सामाजिक + आर्थिक सेवाएँ)	23.84	20.59	26.87	18.46

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.4 सरकारी व्यय एवं निवेश

1.4.1 सिंचाई परियोजनाओं का वित्तीय परिणाम

तेरहवें और चौदहवें वित्त आयोग ने सिंचाई परियोजनाओं (राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय से) के वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आकलन के लिए इन परियोजनाओं से वसूली की दर निर्धारित की थी। वर्ष 2012-17 की अवधि के दौरान राज्य की सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति तालिका 1.22 में दर्शायी गयी है:

तालिका 1.22: सिंचाई परियोजनाओं से लागत वसूली की स्थिति

वर्ष	राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्ति	लागत वसूली का आकलन 13वें वित्त आयोग (2010-15)/14वें वित्त आयोग (2015-20)	राजस्व प्राप्ति से राजस्व व्यय	लागत वसूली में अंतर
			(₹ करोड़ में)		(प्रतिशत में)
2012-13	661.18	22.30	45	3	42
2013-14	724.69	23.52	60	3	57
2014-15	680.96	21.34	75	3	72
2015-16	846.14	31.11	35	4	31
2016-17	680.98	28.23	35	4	31

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं 13वें और 14वें वित्त आयोग का प्रतिवेदन)

लागत वसूली में अंतर (31 प्रतिशत) पड़ोसी राज्यों, यथा झारखंड (8.47 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (20 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (-49 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (-87 प्रतिशत) से ज्यादा है, जो यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र में राज्य को अभी बहुत प्रयास करना होगा।

⁶ वेतन एवं मजदूरी

1.4.2 अपूर्ण परियोजनाओं

अपूर्ण परियोजनाओं पर निधि अवरूद्ध होने से व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ता है। वित्त लेखे में शामिल अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण सारांशीकृत रूप में तालिका 1.23 में दी गई है:

तालिका 1.23: 31 मार्च 2017 को अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	मार्च 2017 तक प्रगतिशील व्यय
जल संसाधन	21	792.27	416.24
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	58	206.25	110.22
पथ निर्माण	8	193.41	105.62
भवन निर्माण	29	1,022.42	853.55
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	10	15.70	8.83
ग्रामीण कार्य	2	2.81	1.84
राष्ट्रीय राजमार्ग	2	36.22	25.01
कुल	130	2,269.08	1,521.31

(स्रोत: वर्ष 2016-17 का वित्त लेखा)

वर्ष 2009-10 से 2016-17 तक पूर्ण होने वाली कुल 130 परियोजनाओं में से मात्र चार परियोजनाओं का ही लागत संशोधन किया गया। शेष 126 कार्यों⁸ की जिनकी अनुमानित लागत ₹ 2,157.60 करोड़ थी उनका लागत संशोधन नहीं किया गया। फलस्वरूप, राज्य इन अपूर्ण परियोजनाओं के कारण एक वृहद गैर-आकलित दायित्वों का सामना कर रहा है।

अनुशंसा: वित्त विभाग और संबंधित विभागों को एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे कि परियोजनाओं को ससमय पूरा किया जा सके।

1.4.3 निवेश पर प्रतिलाभ

वर्ष 2012-17 के दौरान निवेश⁹ पर प्रतिलाभ की स्थिति तालिका 1.24 में दिया गया है।

तालिका 1.24: निवेश पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधार की लागत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	941.17	2,867.18	7,068.79	9,940.24	15,916.47
लाभांश/ब्याज प्राप्ति (₹ करोड़ में)	2.55	2.53	2.58	14.84	3.73
लाभांश/ब्याज प्राप्ति (प्रतिशत)	0.27	0.09	0.04	0.15	0.02
सरकारी उधारी पर ब्याज की औसत दर ¹⁰ (प्रतिशत)	5.79	6.28	6.19	6.09	5.90
बाजार उधारी पर ब्याज दर एवं निवेश पर प्रतिलाभ दर में अंतर (प्रतिशत)	5.52	6.19	6.15	5.94	5.88
बाजार उधारी पर ब्याज दर एवं निवेश पर प्रतिलाभ दर में अंतर के कारण हानि (₹ करोड़ में)	51.95	177.48	434.73	590.45	935.89

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

⁷ जल संसाधन विभाग में तीन एवं सड़क निर्माण विभाग में एक।

⁸ वर्ष 2009-10 में एक, 2011-12 में पाँच, 2012-13 में एक, 2013-14 में 09, 2014-15 में 30, 2015-16 में 36 एवं 2016-17 में 48 कार्य पूरा होना शेष था।

⁹ स्वायत्त निकायों, सरकारी कंपनियों, सहकारी समितियों एवं बैंकों में।

¹⁰ औसत ब्याज दर = ब्याज भुगतान X 100 / राजकोषीय उत्तरदायित्व।

सरकार की उधारी लागत तथा निवेश पर प्रतिलाभ के बीच अंतर के कारण पिछले पाँच वर्षों में, राज्य सरकार को विभिन्न इकाईयों में निवेश पर ₹ 2,190.50 करोड़ की हानि हुई। अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश पर प्रतिलाभ का आकलन नहीं किया जा सकता।

यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि निवेश पर खराब प्रतिलाभ के बावजूद वित्त विभाग ने नियमित रूप से इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इक्विटी, ऋण, सहायता अनुदान, सब्सिडी के माध्यम से बजटीय समर्थन प्रदान किया है, जिन कंपनियों में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने लेखों को पूर्ण नहीं किया था। यह पाया गया कि राज्य सरकार ने 10 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ₹ 4,476.54 करोड़ का बजटीय सहायता विस्तारित किया। इसमें से 2014-16 के दौरान 7 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ₹ 1,052 करोड़ दिया गया तथा 2016-17 के दौरान 5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ₹ 1,414.79 करोड़ दिया गया जिनके लेखे तीन वर्षों से अधिक से अपूर्ण थे। आगे, सार्वजनिक क्षेत्र के 10 अकार्यशील उपक्रमों को ₹ 1,007.23 करोड़ का बजटीय सहायता दिया गया। इसमें से 2014-15 से 2016-17 के दौरान तीन अकार्यशील कम्पनियों को ₹ 71.61 करोड़ दिया गया, जिसमें से ₹ 70.61 करोड़ दो कम्पनियों बी0एस0सी0सी0एल0 (₹ 1.34 करोड़) तथा बी0एस0एस0सी0एल0 (₹ 69.27 करोड़) को ऋण एवं अनुदान के रूप में दिया गया। चूँकि इक्विटी और ऋणों से प्रतिलाभ की संभावना न के बराबर थी इस कारण यह राज्य सरकार के परिसंपत्तियों का गलत प्रस्तुतीकरण करती है। अकार्यशील कंपनियों को इस तरह के बजटीय सहायता पूरी तरह से सहायता अनुदान के रूप में किया जाना चाहिए।

अनुशंसा: वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को वैसे इकाईयों का, जिनका वित्तीय प्रदर्शन पूँजी की उधार लागत को भी पूरा नहीं करता है, में निवेश की समीक्षा करनी चाहिए। किसी भी स्थिति में, जिन इकाईयों के लेखे बकाये में हैं, उनमें निवेश तथा ऋण विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए।

1.4.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी संस्थाओं, निगमों तथा कंपनियों में निवेश करने के अतिरिक्त राज्य सरकार इनमें से कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही है। यह विस्तृत रूप से तालिका 1.25 में दिया हुआ है।

तालिका 1.25: लंबित ऋण एवं अग्रिम तथा बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
ऋण एवं अग्रिम का आरंभिक शेष	18,525.76	20,587.01	21,379.35	20,255.00	20,857.73
वर्ष के दौरान दी गयी अग्रिम की राशि	2,085.95	807.38	368.71	621.23	113.87
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की राशि	24.70	15.03	1,493.06 ¹¹	18.50	23.31
ऋण एवं अग्रिम का अंत शेष	20,587.01	21,379.36	20,255.00	20,857.73	20,948.29¹²
बकाया ब्याज	2,145.04	3,017.55	3,017.55	5,478.14	6,652.60
बकाया ऋण तथा अग्रिम के सापेक्ष बकाया ब्याज की प्रतिशत	10.42	14.11	14.90	26.26	31.76

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

(i) इन ऋणों एवं अग्रिमों पर बकाया ब्याज पिछले वर्षों में बढ़ कर 31 मार्च 2017 को यह ₹ 6,652.60 करोड़ हो गया।

¹¹ इसमें से ₹ 1,475 करोड़ का पुनर्भुगतान बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया गया।

¹² स्वायत्त निकायों ₹ 13,376.82 करोड़, सरकारी कंपनियों ₹ 5,187.08 करोड़, सहकारी समितियों/सहकारी निगमों/बैंकों ₹ 1,106.42 करोड़ एवं अन्य ₹ 1,277.97 करोड़।

सरकार द्वारा दी गई ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण वित्त लेखे के भाग 1 में तथा ईकाईयाँ, का विवरण जिनका ऋणों का पुनर्भुगतान बाकी है, विवरणी 18 के भाग 2 में दिया गया है।

- (ii) जैसा कि तालिका 1.26 में दर्शाया गया है, पिछले अनेक वर्षों से विभिन्न ईकाईयों द्वारा बकाया ऋणों एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान या ब्याज प्राप्ति नहीं हुई।

तालिका 1.26: लंबित ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	वर्ष जब से कोई पुनर्भुगतान या ब्याज प्राप्त नहीं हुआ	लंबित ऋण एवं अग्रिम	बकाया ब्याज भुगतान
नगरपालिका / नगर परिषद / नगर निगम	2010-11	386.85	56.55
आवास बोर्ड	2012-13	127.47	0.00
पंचायती राज संस्थाएँ	2008-09	57.63	20.28
विविध उद्देश्यों के लिए ऋण	2005-06	0.85	0.00

(स्रोत: वर्ष 2016-17 के वित्त लेखे)

अनुशंसा: वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को उन ईकाईयों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम को बट्टे खाते में डालने की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए जिन्होंने पिछले अनेक वर्षों से मूलधन का पुनर्भुगतान अथवा ब्याज अदायगी नहीं की है।

1.4.5 रोकड़ शेषों एवं रोकड़ शेषों का निवेश

वर्ष 2016-17 के दौरान रोकड़ शेषों एवं रोकड़ शेषों के निवेशों का विवरण नीचे तालिका 1.27 में दिया हुआ है:

तालिका 1.27: रोकड़ शेषों एवं रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल 2016 को आरंभिक शेष	31 मार्च 2017 को अंतिम शेष
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
कोषागारों में रोकड़	00.00	00.00
रिजर्व बैंक के पास जमा	124.56	114.90
पारगमन में प्रेषण-स्थानीय	00.00	00.00
कुल	124.56	114.90
रोकड़ शेष निवेश खातों में किया गया निवेश	8,199.24	13,001.71
कुल (अ)	8,323.80	13,116.61
(ब) अन्य शेष एवं निवेश		
विभागीय अधिकारियों यथा वन तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के पास रोकड़	215.71	185.60
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	342.37	342.26
उद्दिष्ट निधियों के निवेश	2,834.84	3,417.73
कुल (ब)	3,392.92	3,945.59
कुल योग (अ+ब)	11,716.72	17,062.20

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

अनुशंसा: राज्य सरकार को उच्च ब्याज दरों पर बाजार उधारी लेने से पहले अपने पास से रोकड़ शेषों का उपयोग करना चाहिए।

1.5 परिसंपत्ति एवं देयताएँ

1.5.1 परिसंपत्तियाँ एवं देयताओं में वृद्धि तथा इसके संघटक

सरकार की वर्तमान लेखा प्रणाली में अंचल सम्पत्तियों जैसे सरकारी भूमि और भवन का विस्तृत लेखांकन नहीं होता है तथापि, ये वित्तीय देयताएँ के लेखांकन के व्यय द्वारा सृजित परिसंपत्तियों द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं। **परिशिष्ट 1.6**, 31 मार्च 2016 के संगत स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2017 तक की इस प्रकार की देयताएँ तथा परिसंपत्तियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। देयताओं में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखे एवं संचित निधि से प्राप्तियाँ शामिल हैं जबकि परिसंपत्तियाँ में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय एवं राज्य सरकार द्वारा दी गयी ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष शामिल हैं।

1.5.2 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन

वित्त लेखे के अनुसार, राज्य सरकार के पास छः आरक्षित निधियाँ¹³ हैं जैसा कि **तालिका 1.28** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.28: आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	लेखे शीर्ष	01 अप्रैल 2016 को आरंभिक शेष	2016-17 में प्राप्तियाँ	2016-17 में संवितरण	31 मार्च 2017 को अंतिम शेष
(अ) ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ					
1	8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ (एस0डी0आर0एफ0)	1,408.43	492.00	1,204.03	696.39
(ब) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ					
1	8222-निक्षेप निधि	0.00	582.89	582.89	0.00 ¹⁴
कुल		1,408.43	1,074.89	1,786.92	696.39

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

पिछले 16 से 17 वर्षों से चार आरक्षित निधियों यथा, मूल्य ह्रास/नवीकरण आरक्षित निधियाँ, अकाल राहत निधि, विकास एवं कल्याण निधि, सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि में कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

अनुशंसा: वित्त विभाग तथा संबंधित प्रशासनिक विभागों को वैसे सभी आरक्षित निधियों को बंद कर देना चाहिए जिनमें पिछले कई वर्षों से कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

अन्य दो आरक्षित निधियों से संबंधित प्राप्तियाँ तथा संवितरण का वर्णन नीचे किया गया है:-

1.5.2.1 निक्षेप निधि

बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गई थी कि राज्यों को सभी ऋणों के साथ-साथ बैंकों से लिए गए ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि पर देयताओं इत्यादि के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि की स्थापना करनी चाहिए तथा इन निधियों का उपयोग ऋणों के विमोचन के अलावे अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक, जो निधि का प्रबंधन के लिए जिम्मेवार है, वर्ष

¹³ राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, निक्षेप निधि, अकाल राहत निधि, विकास एवं कल्याण निधि, सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि एवं मूल्यह्रास/नवीनीकरण आरक्षित निधियाँ।

¹⁴ वित्त लेखे के विवरण 22 के अनुसार इन निधियों की राशि निवेशित है। निवेशित राशि 31 मार्च 2017 को निक्षेप निधि निवेश खाते का अंतिम शेष ₹ 3,417.63 करोड़ था।

के प्रारंभ में बकाया देयताओं के न्यूनतम 0.5 प्रतिशत का अंशदान निर्धारित करने का दिशा-निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने 2008-09 में एक समेकित निक्षेप निधि का स्थापना किया जो सिर्फ बाजार ऋण के परिशोधन के लिए था न कि सभी बकाया देयताओं के लिए। निधि का उपयोग वर्ष 2014-15 से प्रारंभ किया जाना था। हालांकि, 2014-17 के दौरान निधि का उपयोग इस उद्देश्य के लिए नहीं हुआ है।

1.5.2.2. राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन वर्ष 2010-11 में प्रारंभ किया। दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्र तथा राज्य सरकार को निधि में 75:25 के अनुपात में अंशदान देना है। योजना में यह भी वर्णन है कि निधि में अभिवृद्धि के साथ-साथ निधि के निवेश पर अर्जित आय का निवेश केन्द्र सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम कोषागार विपत्रों, ब्याज अर्जक जमाओं एवं प्रमाण पत्रों तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ निक्षेपों का प्रमाण पत्र तथा सहकारी बैंकों के साथ ब्याज अर्जक निवेशों में किया जाना चाहिए। हालांकि, राज्य सरकार ने इस निधियों को निवेश नहीं किया इसलिए निधि से कोई भी ब्याज अर्जित नहीं हो पायी। परिणामस्वरूप, निधि में शेष सिर्फ पुस्त प्रविष्टियों को दर्शाती है न कि वास्तविक नकद शेष।

1 अप्रैल 2016 को निधि का आदि शेष ₹ 1,408.43 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 492 करोड़ की राशि प्राप्त की गयी तथा प्राकृतिक आपदाओं पर ₹ 1,204.03 करोड़ व्यय किया गया जिससे 31 मार्च 2017 को अंतिम शेष ₹ 696.39 करोड़ रह गया। पुनः सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए ₹ 119.72 करोड़¹⁵ (रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिविकर्ष पर लागू दर से) के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार का राजस्व अधिशेष ज्यादा तथा राजकोषीय घाटा कम प्रदर्शित हुआ जिसका वर्णन पैरा 3.12 में किया गया है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के संचालन से अब तक का अप्रदत्त ब्याज (₹ 931.04 करोड़) राज्य के अलेखांकित देयताओं को प्रदर्शित करता है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को वर्णित दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के शेषों को ब्याज अर्जक जमाओं में निवेश करना चाहिए।

1.5.3 प्रत्याभूतियाँ

प्रत्याभूति मोचन निधि

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना नहीं की गयी और न ही प्रत्याभूति की सीमा के लिए कोई नियम बनाया गया था। राज्य सरकार इसके दिशानिर्देशों के अनुसार ₹ 32.69 करोड़ (वर्ष 2016-17 के प्रारंभ में ₹ 6,537.45 करोड़ के बकाया प्रत्याभूति का 0.5 प्रतिशत) के न्यूनतम वार्षिक अंशदान करने में विफल रही, परिणामस्वरूप 2016-17 के दौरान राजस्व अधिशेष बढ़ गया और राजकोषीय घाटा कम हो गया जैसा कि पैरा 3.12 में वर्णित है। 2009-10 से 2016-17 तक इस लेखा पर राज्य का कुल देयता ₹ 91.81 करोड़ था।

वित्त लेखे के विवरणी 9 के अनुसार पिछले पाँच वर्षों के प्रत्याभूति की स्थिति तालिका 1.29 में दिया हुआ है।

¹⁵ निधि के दिशा निर्देशों के अनुसार रेपो दर +02 प्रतिशत पर आकलित किया गया। वित्त लेखे में किये गये ब्याज गणना से भिन्न है, वहाँ ब्याज दर आर्थोपाय एवं अग्रिम (7.50 प्रतिशत) के औसत ब्याज दर पर आधारित है।

तालिका 1.29: सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
अधिकतम प्रत्याभूत राशि	2,046.44	2,586.84	5,314.84	9,396.62	13,053.04
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	59,567	68,919	78,417	96,123	1,05,585
वर्ष के अंत में प्रत्याभूति की बकाया राशि (मूलधन)	1,089.23	1,090.23	2,000.90	4,720.78	4,459.58
कुल राजस्व प्राप्त से अधिकतम प्रत्याभूति राशि की प्रतिशतता	3.44	3.75	6.78	9.78	12.36

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

अधिकतम प्रत्याभूत राशि में से ऊर्जा (₹ 8,885.85 करोड़), सहकारिता (₹ 1,268.84 करोड़), पथ एवं परिवहन (₹ 2,000.00 करोड़), राज्य वित्तीय निगम (₹ 183.57 करोड़), शहरी विकास एवं आवास (₹ 90.00 करोड़), अन्य अवसंरचना (₹ 33.76 करोड़) तथा अन्य (₹ 586.09 करोड़) संबंधित था। 2016-17 के दौरान कोई प्रत्याभूति मुक्त नहीं की गयी थी।

वर्ष 2012 से 2017 के दौरान, बिहार राज्य खाद्य एवं सिविल आपूर्ति निगम से ₹ 4.01 करोड़¹⁶ की राशि का प्रत्याभूति शुल्क के रूप में प्राप्त हुआ। बकाया प्रत्याभूतियों पर प्रत्याभूति शुल्क के बारे में कोई सूचना नहीं है।

1.6 ऋण प्रबंधन

1.6.1 उधार ली गयी निधि की निवल उपलब्धता

2012-17 के दौरान उधार ली गयी निधि की निवल उपलब्धता का विवरण तालिका 1.30 में दिया हुआ है।

तालिका 1.30: उधार ली गयी निधि की निवल उपलब्धता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों के अंतर्गत प्राप्तियाँ	26,995	30,249	41,188	56,030	72,845
लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों के अन्तर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन एवं ब्याज)	18,304	19,813	29,072	38,508	50,701
निवल निधि ¹⁷ उपलब्धता	4,263	4,977	5,988	10,424	13,953
लोक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियाँ एवं निधि की निवल उपलब्धता का प्रतिशत	18.79	16.45	14.54	18.60	19.15

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखे)

राज्य द्वारा ली गई उधार के निधियों में से 80 से 85 प्रतिशत की राशि का उपयोग उधारी के पुनर्भुगतान तथा इसके ब्याज अदायगी के रूप में किया जाता है, जो दर्शाता है कि राज्य द्वारा विकासात्मक क्रियाओं में कम खर्च किया जाता है। 2016-17 में लोक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियों से निधि के निवल उपलब्धता का प्रतिशत 19.15 प्रतिशत था जबकि उत्तर प्रदेश में 25.75 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 30.54 प्रतिशत, झारखंड में 32.43 प्रतिशत तथा छत्तीसगढ़ में 25.44 प्रतिशत था।

1.6.2 ऋण निर्वाहता

ऋण निर्वाहता भविष्य में ऋण के निर्वहन के लिए राज्य की योग्यता को इंगित करता है। तालिका 1.31 वर्ष 2012-13 के आरंभ से पाँच वर्षों की अवधि में ऋण निर्वाहता के सूचकांक को दर्शाता है।

¹⁶ 2014-15 के दौरान ₹ 1.63 करोड़, 2015-16 के दौरान ₹ 0.63 करोड़ तथा 2016-17 के दौरान ₹ 1.75 करोड़।

¹⁷ उधार निधियों की निवल उपलब्धता = लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अंतर्गत प्राप्तियाँ-(लोक ऋण का पुनर्भुगतान एवं अन्य दायित्व + गैर-योजना मुख्य शीर्ष 2049 के अंतर्गत ब्याज भुगतान)।

तालिका 1.31 ऋण निर्वाहता : सूचकांक तथा प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण निर्वाहता के सूचकांक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
उधार निधि के निवल उपलब्धता	4,263	4,977	5,988	10,424	13,953
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियों का अनुपात)	10	10	10	8	8
राजस्व प्राप्तियाँ	59,567	68,919	78,417	96,123	1,05,585
उदय को छोड़कर बकाया ऋण	76,503	86,939	99,056	1,16,578	1,36,390
उदय को छोड़कर बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.82	13.64	13.94	17.69	17.00
बकाया ऋण (राजकोषीय दायित्व)/उदय को छोड़कर जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशत में)	27.09	27.42	28.88	30.56	31.14
ब्याज भुगतान	4,428	5,459	6,129	7,098	8,191
बकाया ऋण का औसत ब्याज दर	6.14	6.68	6.59	6.58	6.42

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.6.3. बाजार उधारी की परिपक्वता की रूपरेखा

राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा तालिका 1.32 में दिया हुआ है।

तालिका 1.32: राज्य ऋण की परिपक्वता की रूप रेखा

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता की रूपरेखा	आंतरिक ऋण	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	कुल	प्रतिशत (कुल के सापेक्ष)
0-1 वर्ष	3,462.47	759.07	4,221.54	3.82
1-3 वर्ष	16,289.15	2,347.62	18,636.77	16.89
3-5 वर्ष	12,477.74	1,544.92	14,022.66	12.71
5-7 वर्ष	18,722.39	1,527.18	20,249.57	18.35
7 वर्ष और अधिक	49,103.71	4,113.79	53,217.50	48.23
योग	1,00,055.46	10,292.58	1,10,348.04	100.00

(स्रोत: वर्ष 2016-17 के वित्त लेखे)

1.6.4 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

उदय विद्युत वितरण कंपनियों के लिए एक पुनरुत्थान पैकेज है तथा यह विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय तथा परिचालन रूप से सक्षम बनाता है ताकि वे सस्ती दरों पर पर्याप्त विद्युत आपूर्ति कर सकें। इस योजना के तहत, विद्युत कंपनियों के 75 प्रतिशत ऋण (₹ 3,109.05 करोड़) को राज्य अपने अधिकार में 30 सितम्बर 2015 (वित्तीय वर्ष 2015-16 में 50 प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में 25 प्रतिशत) को लेगी। राज्य को ऋण का अधिग्रहण करने के लिए गैर-सांविधिक तरलता अनुपात बॉण्ड¹⁸ जारी करने तथा इसको अनुदान, ऋण तथा इक्विटी के रूप में विद्युत कंपनियों को हस्तांतरण करने की आवश्यकता है। पैकेज के अंतर्गत राज्य सरकार का दायित्व ₹ 2,331.78 करोड़ था।

विद्युत कंपनियों के पुनरुत्थान पैकेज के अनुसार राज्य सरकार ने सब्सिडी तथा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सहभागी ऋणदाता बैंकों को बॉण्ड जारी कर कंपनियों के ऋण (₹ 2,331.78 करोड़¹⁹) को अपने अधिकार में लिया।

¹⁸ सांविधिक तरलता अनुपात यह दर्शाता है कि वाणिज्यिक बैंकों को ग्राहकों को ऋण/साख देने से पहले इसको नकद, आरक्षित स्वर्ण एवं सरकार द्वारा अनुमोदित सिक्योरिटी के रूप में रखना आवश्यक है।

¹⁹ 2015-16 में ₹ 1,554.52 करोड़ (50 प्रतिशत) तथा 2016-17 में ₹ 777.26 करोड़ (25 प्रतिशत)।

डिस्कॉम को प्राप्त वित्तीय पैकेज का खण्डवार विश्लेषण तालिका 1.33 में दिया गया है।

तालिका 1.33: डिस्कॉम को वित्तीय पैकेज

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	सहायता की प्रकृति	राशि
1.	दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को सब्सिडी	1,369.89
2.	उत्तर बिहार विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को सब्सिडी	961.89
योग		2,331.78

1.7 अनुवर्ती

राज्य वित्त प्रतिवेदन राज्य विधान मंडल में 2008-09 से प्रस्तुत किया जा रहा है तथा लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा की जाती रही है। वर्ष 2016-17 के दौरान लोक लेखा समिति द्वारा कोई अनुशांसा नहीं किया गया।